



जल जीवन मिशन (हर घर जल)

ग्राम कार्य योजना (वी०डब्लू०एस०सी०)

बाबा राम करन दास ग्रामीण विकास समिति गोरखपुर



जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समिति, अर्थात वी०डब्लू०एस०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जाती है और डी०डब्लू०एस०एम० को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जाती है। आई०एस०ए० द्वारा मार्गदर्शन सहायत प्रदान की जानी है।

1. तैयार की तारीख :- 05-01-2024

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख:- 11-01-2024

डी०डब्लू०एस०एम० को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:-

2. ग्राम का नाम:- धौरहरा

ग्राम पंचायत का नाम:- धौरहरा

ब्लाक का नाम:- फाफिलनगर

जिला का नाम:- कुशीनगर

राज्य का नाम:- उत्तर प्रदेश

ग्राम जानगणना कोड:-

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा:- 8 (संख्या) मवेशी कुंडों को और 7 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात 6 घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल०पी०सी०डी० जल की आपूर्ति वर्ष 2021 तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ०एच०टी०सी० प्रदान करना।

हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और मीठे पानी को बचाएंगे।



यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लगात का प्रतिशत और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

❖ पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी०एच०ई०डी०/आर०डब्ल्यू०एस० विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डब्ल्यू०एस०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): G.P.W.S.C

समिति को क्या कहा जाता है ग्राम पंचायत स्वच्छता समिति

अध्यक्ष का नाम: शशिनी सिंह

लिंग: महिला

आयु: 45

सदस्य का नाम	लिंग	आयु
शशिनी सिंह	महिला	45
गंगा सिंह	॥	
वैजेश महेशिया	पुरुष	55
सुदामा प्रसाद	॥	70
सुबोध नाथ तियाड़ी	॥	48
इतिल महेशिया	॥	40
शोभा कुमारी	॥	38
शम्भू महेशिया	॥	
पूजा कुमारी	महिला	40
पुनपरी देवी	॥	42
रीमा देवी	॥	34
वृद्धिा देवी	॥	38
सुष्मा देवी	॥	50
वृद्धिा देवी	॥	27
अमली देवी	॥	24
तानपरी देवी	॥	51

III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार:	वर्तमान पंचायत/आंगनवाड़ी रिकार्ड के अनुसार
जनसंख्या 4971	वर्तमान जनसंख्या 4830
परिवारों की संख्या 677	परिवारों की संख्या 683
महिलाओं की संख्या 2181	महिलाओं की संख्या 2578
पुरुषों की संख्या 2290	पुरुषों की संख्या 2252
बच्चों की संख्या 655	बच्चों की संख्या 738
एफ0एच0टी0सी0 की संख्या 631	एफ0एच0टी0सी0 की संख्या 656

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण – वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18 प्रतिशत वृद्धि):
 किलोलीटर/दिन (के0एल0डी0) अंतिम चरण वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में
 32 प्रतिशत वृद्धि): किलोलीटर/दिन (के0एल0डी0)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 40

9. कृषि फसल पैटर्न: दाल

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना		✓
धान	✓	
मक्का		
कपास		
गेहूँ	✓	✓
अन्य		

10. औसत जिला वर्षा (मि0मी0 में): 13 mm

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हां/नहीं)

(ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हां/नहीं)

(ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

क्र० सं०	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ०एच०टी०सी० उपलब्ध है? (हां/नहीं)	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हां/नहीं)	सोखा नदों की उपलब्धता? (हां/नहीं)
1.	स्कूल	✓	✓	✓
2.	आंगनवाडी	✓	✓	✓
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	✓	✓	✓
4.	ग्राम पंचायत भवन			
5.	अन्य			

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता – जनसंख्या X दर: के०एल०डी०

मावेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 317 के०एल०डी०

मवेशी कुंडों की आवश्यक संख्या: 33

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता – जनसंख्या X दर:

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता – जनसंख्या X दर: के०एल०डी०

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त:

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख:

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति):

मापदण्ड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	
पीएच	पट्टी रंग तुलना	0.7
पूर्ण लवणता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
क्लोराइड	टिट्रीमेट्रिक विधि	
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	0.8
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	0.6

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गांव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी
	18	75

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हां/नहीं)
25. गांव में उम्र मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 85 प्रतिशत): के०एल०डी०
अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 26
उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 117
आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 16
क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हां/नहीं):
यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है:
यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए
.....10.....

III. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ०एच०टी०सी० प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन०आर०डी०डब्ल्यू०पी० के तहत शुरु की गयी योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर०डब्ल्यू०एस० की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे०जे०एम० के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस०वी०एस०
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस०वी०एस०
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम०वी०एस०
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी०डब्ल्यू०एस० जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित है।

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: खेत तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: खेत
खेत = मिट्टी इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि:
वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी०एच०ई०डी०/आर० डब्ल्यू० एस० विभाग को सौंप दी जाएगी: 50% योजना की लागत:
भारत सरकार का हिस्सा:
राज्य का हिस्सा: 50% समुदाय का हिस्सा: 50%
100% व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: 100% वार्षिक

प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क: कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी०डब्ल्यू०एस०:

III. मेल-जोल

निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवां वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।	स्थाय विधि
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एस०बी०एम०-जी)	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट - सोखता गड्ढे (व्यक्तिगत/सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।	ग्रामीण विधि
एम०जी०एन०आर०ई० जी०एस०	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन०आर०एम०) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियां	ग्रामीण मंत्रालय में V.W.S.C
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आर०डब्ल्यू०एच०/कृत्रिम पुर्नभरण, जल निकायों का निर्माण/वृद्धि आदि	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०बी०वाई०)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि	कृषि, सहकारिता	जल की अधिक खपत	

सिंचाई योजना (पी०एम०के०एस०वाई०)	और किसान कल्याण मंत्रालय	वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एक्वीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी०एम०के०एस०वाई ०)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर०डब्ल्यू०एस० योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	✓
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियां	
जिला खनिज विकास निधि (डी०एम०ए०एफ०)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियां	
एम०पी०एल०ए०डी०	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम०ओ०एस०पी०आ ई)	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम०एल०ए०एल०ए०ड १०	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी०एस०एस०)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			✓

अध्यक्ष का हस्ताक्षर:

• पी0एच0ई0डी0 / आर0डब्ल्यू0एस0 विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर:-

आई0एस0ए0 प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो):

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी0डब्ल्यू0 एस0सी0/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. अंजली देवी श्री विष्णु प्रसाद - 8298359406
2. इशरावती देवी श्री वृजेन्द्र महेश्वरिया - 9670490551
3. उषा देवी श्री लालजी शुभा - 7235025387
4. शुद्धिा देवी श्री नेत्रम राजभा - 6280369805
5. नेहायादव श्री दिलीप यादव - 9877991305

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

(1) अजय शर्मा श्री पोषी प्रसाद शर्मा - 9892966977

(2)

